न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 19 / 2023   ता0 रजू 12.01.2023

उनवान

1. गीता पुत्री किशना जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह हाल निवास डूंगरीकलां तहसील मालपुरा टोंक।

--वादिया--

बनाम

1. गंगाराम पि0 किशना जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।
2. रामस्वरूप पि0 किशना जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।
3. सीताराम पि0 किशना जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोड़ारायसिंह।
4. तहसीलदार / लैण्ड होल्ड़र तहसील टोडारायसिंह।

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश

दिनांकः--01.04.2024

वाद वादिया का मुख्य रूप से कथन है कि वादिया व प्रतिवादीगण के पिता किशना पुत्र मूल्या के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 2, 204, 205, 206, 207, 208, 341, 342 जमाबन्दी सम्वत् 2073--2076 वाके ग्राम बस्सी तहसील टोडारायसिंह में स्थित हैं। जिसको वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 अपने पिता के साथ उनके जीवन काल में काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 के पिता की मृत्यु वर्ष 2008 में हो गई। मृतक किशना की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 241 सम्वत् 2063--2066 की खतौनी जमाबंदियों में वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 के साथ वादिया की माता फुमा देवी के नाम भराया गया था। वाद में दिनांक 29.08.2021 को वादिया व प्रतिवादीगण ही उसके विधिक एवं जायज वारिसान हैं। मृतक किशना के एक मात्र पुत्री वादिया ही हैं। वादिया को बचपन में लाड प्यार से गोली नाम से बुलाते थें व वास्तविक एवं सहीं नाम गीता था। गोली व गीता दोनो नामों से वादिया को जाना पहचाना जाता हैं। वादिया की शादी करीब 35--36 वर्ष पूर्व ग्राम डूंगरीकलां तहसील मालपुरा में रामप्रसाद के साथ सम्पन्न हो गई थीं। वादिया अपने ससुराल में रह रहीं हैं।

वादिया अनपढ़ महिला है। वादिया के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, जन--आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में नाम गीता हीं दर्ज हैं। परन्तु विरासत में नाम गोली दर्ज हो गया राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने से काफी परेशानी हो रहीं हैं। राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हैं। इसलिए उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

अतः वाद वादिया पेश कर निवेदन हैं कि दावा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात वाके ग्राम बस्सी तहसील टोड़ारायसिह में वादिया का नाम गोली पुत्री किशना के स्थान पर गीता पुत्री किशना सहीं व दुरूस्त किया जावें। विकल्प में गोली उर्फ गीता पुत्री किशना दुरूस्त फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल फरमाया जावें।

वाद वादिया पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिए सम्मन की गयी। जिस पर प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 में इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी नं0 4 तहसीलदार के जवाब में निवेदन किया कि खाता संख्या 2, 204, 205, 206, 207, 208, 341, 342 सम्वत् 2073--2076 वाके ग्राम बस्सी तहसील टोड़ारायसिंह में गोली पुत्री किशना के स्थापन पर गीता पुत्री किशना किया जाना उचित हैं।

वादिया ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073--2076 वाके ग्राम बस्सी तहसील टोड़ारायसिंह की खतौनी संख्या 2 प्रदर्श पी--1, खतौनी संख्या 204 प्रदर्श पी--2, खतौनी संख्या 205 प्रदर्श पी--3, खतौनी संख्या 206 प्रदर्श [illegible] खतौनी संख्या 208 प्रदर्श पी--6, खतौनी संख्या 341 प्रदर्श पी--7, खतौनी संख्या [illegible] पी--8, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रदर्श पी--ए 9, फॉटो प्रति, फॉटो पहचान [illegible] प्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श पी--ए 11, फॉटो प्रति जनआधार का[illegible] पी--ए 13, फॉटो प्रति आयकर विभाग पेन कार्ड प्र[illegible] डायरी प्रदर्श पी--ए 13 नकल जमाबंदी सम्वत 2063--2066 प्रदर्श पी--15, प्रदर्श पी--16 जिसमें विरासत नामान्तरकरण सं0 241 [illegible] 08.07.2008 का नोट अंकित है। पेश किये। तथा बयानात [illegible] गीता पी--डब्ल्यू 1 के [illegible] करवाये। एवं साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी गंगाराम के बयानात करवाये गये।

बहस अभि0 उभयपक्ष व पेशकार सरकार सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाबों के अनुसार रही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 2, 204, 205, 206, 207, 208, 341, 342 प्रदर्श पी–1 लगायात प्रदर्श पी–8 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 वाके ग्राम बस्सी तहसील टोड़ारायसिंह में गोली पुत्री किशना दर्ज है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फॉटो प्रति आधारकार्ड, प्रदर्श पी–ए 9, फॉटो प्रति निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रदर्श पी–ए 10, फॉटो प्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श पी–ए 11, फॉटो प्रति जनआधार कार्ड प्रदर्श पी–ए 12, फॉटो प्रति भामाशाह कार्ड प्रदर्श पी–ए 13, फॉटो प्रति बैंक डायरी प्रदर्श पी–ए 13, फॉटो प्रति आयकर विभाग पेन कार्ड प्रदर्श पी–ए 14 में सभी दस्तावेजात उक्त में गीता पत्नी रामप्रसाद सैनी है। या गीता पुत्री किशना दर्ज है। अर्थात वादिया का नाम उक्त दस्तावेजात में गीता है। रिकार्ड राजस्व में नाम गीता नहीं होकर गोली जब उसके पिता किशना फौत हुये तब विरासत के नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 08.07.2008 के अनुसार होना प्रदर्श पी 1 जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 वाके ग्राम बस्सी के अनुसार होना जाहिर हैं। वादिया व प्रतिवादी नं0 1 के बयानात से भी सही नाम गीता होना प्रतित है। वाद पत्र की ताईद जवाब दावों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, निर्वाचन फॉटो पहचान पत्र, जनआधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड, प्रदर्श पी –ए 9 से प्रदर्श पी–ए 14 से होती हैं। स्वयं तहसीलदार के जवाब में गोली पुत्री किशना के स्थान पर गीता पुत्री किशना दुरूस्त किया जाना उचित बताया हैं। इस प्रकार प्रकरण दुरूस्त योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादिया मुताबिक जवाब दावों के अनुसार डिक्री किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 2, 204, 205, 206, 207, 208, 341, 342 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम बस्सी तहसील टोड़ारायसिंह में गोली पुत्री किशना के स्थान पर गीता पुत्री किशना दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/2024
(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner